

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

परियोजना / स्कीम का स्थान	
(1) राज्य संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(2) जिला	बलरामपुर
(3) वन प्रभाग	सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर
(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा तुलसीपुर-कोयलाबास मार्ग (एम०डी०आर०) के किमी० 7 (चैनेज संख्या-6.800) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा संख्या-224, ग्राम- मदरहवा, तहसील-तुलसीपुर, जिला-बलरामपुर, उ० प्र० में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति क्षेत्रफल- 0.157853 हे०
(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन (Protected Forest) (राज्य सरकार की सम्पत्ति)
(6) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० 4 मीटर भी (संलग्न की जाये)	संलग्न है।
(7) हरियाली का घनत्व	0.4
(8) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा	प्रस्तावित वनेत्तर प्रयोग की भूमि Protected Forest से शून्य किमी० तथा वन्य जीव विहार (संरक्षित क्षेत्र) से बाहर परन्तु वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (10 किमी० परिधि) के अन्तर्गत है।
(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है। यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाये।	नहीं
(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ब्यौरा दें।	नहीं
(12) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है, यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
(13) क्या क्षेत्र में सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो, दें।	नहीं
(14) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो दें।	नहीं

8-	उपभोक्ता ऐजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए न्यूनतम और आवश्यक है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा भाग-1, कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य है तथा वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हाँ/नहीं। यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही सहित कार्य ब्योरा दें -	नहीं
10-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा।	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन से मापी दूरी भुखण्डों की संख्या प्रत्येक भुखण्ड का आकार।	संलग्न है।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के अभिनिर्धारित वनेत्तर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन ऐजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न है।
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	2.00996 लाख
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	संलग्न है।
11-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12	विभाग / जिला	वन विभाग, जिला-बलरामपुर
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	334900 हे०
	(2) जिले का वन क्षेत्र	52400 हे०
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या = 20 = 51.699521 हे०
	(4) 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	82.991442 हे० (वन व वनेत्तर)
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	38.216842 हे०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर।	44.7746 हे०
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	63.821 हे० (वन व वनेत्तर)
	(क) वन भूमि पर	29.50 हे०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	34.321 हे०
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	जनहित में पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के प्रवेश व निकास मार्ग हेतु न्यूनतम संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक

स्थान बलरामपुर

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

- (डा० सेमरन एम०)

प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग
बलरामपुर